

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी प्रशासनिक सचिव,
2. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

यादि क्रमांक - टीए-(एटीआई)2025/1245-46  
दिनांक 23.06.2025

विषय:- स्टेट एस0ए0एस0, भाग-1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना - 19वां कोर्स ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि स्टेट एस0ए0एस0 भाग-1 का 19वां प्रशिक्षण कोर्स दिनांक 14.07.2025 से 05.09.2025 तक प्रायोजित किया जायेगा । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण कोर्स हेतु इच्छुक अधिकतम तीन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश (Recommendation) करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लॉक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 09.07.2025 तक भेजें ।

1. विभागाध्यक्ष/संगठन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि सिफारिश किये गये कर्मचारी हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022 (प्रति संलग्न) के नियम 7 एवं हिदायतें क्रमांक 14/30/2021-1 वि0ले0, दिनांक 06.02.2023 (प्रति संलग्न) के अनुसार वांछित योग्यता पूर्ण करते हो । इस बारे मुख्यालय/संगठन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी Annexure 'A' अनुसार प्रमाण पत्र देंगे ।
2. विश्वविद्यालयों, बोर्ड, निगमों, संघों एवं प्राधिकरण के केवल वही कर्मचारी उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु योग्य है जहां सम्बन्धित विश्वविद्यालय बोर्ड, निगम, संघ एवं प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022 एवं हिदायतें क्रमांक 14/30/2021-1 वि0ले0, दिनांक 06.02.2023 के अनुसार संगठन (Organization) की परिभाषा के अन्तर्गत आते है एवं उक्त नियमों तथा हिदायतों की शर्तों को पूर्ण करते है । इस बारे सम्बन्धित संगठन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी Annexure 'A' के अनुसार प्रमाण पत्र देंगे । ऐसे कार्यालय के कर्मचारियों को उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु राशि 4000/- रुपये प्रति कर्मचारी ट्रेनिंग फीस के रूप में ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप में प्रस्तुत करनी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये ।



**GOVERNMENT OF HARYANA**  
**OFFICE OF PRINCIPAL ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE HARYANA**  
5<sup>th</sup> Floor, Sinchai Bhawan (B Block), Sector-5, Panchkula  
Phone No.0172-2929535 e-mail:- [principal.ati.pkl@gmail.com](mailto:principal.ati.pkl@gmail.com) website:- [hrtreasuries.gov.in](http://hrtreasuries.gov.in)

3. जो कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग-1 का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये ।
4. कर्मचारी की सूचना **Annexure 'A'** अनुसार भिजवाई जाये ।
5. केवल उन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की जाये जिनकी पिछले दस वर्षों, यदि सेवा काल दस वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल में 70 प्रतिशत गोपनीय रिपोर्ट अच्छी/बहुत अच्छी/उत्कृष्ट हो और इस अवधि में जिनकी ईमानदारी कभी सन्देहयुक्त न रही हो । विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष कृपया यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि जिन कर्मचारियों की वे इस कोर्स के लिये सिफारिश कर रहे हैं उनकी ईमानदारी कभी भी सन्देहयुक्त नहीं रही है ।
6. कर्मचारी के आवेदन पत्र कृपया अपनी सिफारिश के साथ इस संस्थान को भेजें । यह भी देखा गया है कि कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग-1 की परीक्षा के लिये नियत पुस्तकों के बिना ही आ जाते हैं और उनमें बहुत से नियमों की प्रारम्भिक जानकारी के बिना होते हैं और न ही वे अच्छी तरह से लिखने की क्षमता रखते हैं । पुस्तकों/नियमों की प्रारम्भिक जानकारी तथा लिखने की क्षमता के बिना उनके लिये ठीक प्रशिक्षण प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास निर्धारित पुस्तकें हैं और वे एस0ए0एस0 परीक्षा को पास करने के लिये वास्तव में उत्सुक हैं और नियमों की जानकारी में रूचि और लिखने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तथा परिश्रमी हैं ।
7. उन कर्मचारियों को, जिन्होंने किसी अन्य ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़े, प्रशिक्षण के लिये आवेदन पत्र दिया हो, के नाम की सिफारिश न की जाये ।
8. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 2016 के नियम 51 तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
9. आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थी को पदमोचन करने से पूर्व कृपया आप यह देख लें कि यह कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग-1 की परीक्षा देने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये हुये नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है ।
10. केवल प्रशिक्षण में शामिल होने मात्र को हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022 एवं हिदायतें क्रमांक 14/30/2021-1 वि0ले0, दिनांक 06.02.2023 के अन्तर्गत एस0ए0एस0 (ओ0बी0) भाग-1 की परीक्षा हेतु पात्रता से नहीं जोड़ा जायेगा । परीक्षा हेतु पात्रता





**GOVERNMENT OF HARYANA**  
**OFFICE OF PRINCIPAL ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE HARYANA**  
5<sup>th</sup> Floor, Sinchai Bhawan (B Block), Sector-5, Panchkula  
Phone No.0172-2929535 e-mail:- [principal.ati.pkl@gmail.com](mailto:principal.ati.pkl@gmail.com) website:- [hrtreasuries.gov.in](http://hrtreasuries.gov.in)

विभाग द्वारा उस समय के नियम/सम्बन्धित नियम/हिदायतों अनुसार, जब भी परीक्षा होगी, अलग से आंकी जायेगी ।

कर्मचारी को पद मोचन करके इस संस्थान में दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे तक उपस्थित होने के आदेश दें, तथापि प्रशिक्षण के कार्यक्रम में किसी प्रकार के बदलाव व प्रतिभागी के नाम को स्वीकार/अस्वीकार करने बारे अन्तिम निर्णय संस्थान का ही होगा । आप द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस संस्थान में भेजने से पहले स्टॉप पेपर पर एक बांड भी भरवाना होगा, जिसकी नमूना प्रति संलग्न है (Annexure 'B') । इस बांड को अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखना है और इस संस्थान को इसकी फोटो प्रति भेजते हुये केवल उसकी सूचना देनी है कि यह बांड भरवा लिया गया है ।

प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं है और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यहां पर ठहरने के लिये प्रबन्ध स्वयं करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को दोपहर का भोजन तथा दो समय चाय दी जाती है। यह परिपत्र (सम्बन्धित नियम तथा हिदायतों सहित) महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वेबसाइट (<http://www.hrtreasuries.gov.in/>) पर भी उपलब्ध है ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0कमांक टीए-(एटीआई)-2025 / 1247

दिनांक 23.06.2025

इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विश्वविद्यालयों, बोर्डज़, निगमों, संघों एवं प्राधिकरण को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जो निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता हो । आपके कार्यालय द्वारा राशि 4000/- रुपये ट्रेनिंग फीस प्रति कर्मचारी ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप में इस संस्थान में प्रशिक्षण से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना सम्बन्धित कार्यालय की अपनी जिम्मेवारी होगी ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

23/6/25

**ANNEXURE 'A'**

1	कर्मचारी की जन्म तिथि	
2	सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग-अलग स्पष्ट करें।	
3	कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता	
4	कर्मचारी के अन्तिम 10 वर्षों या यदि सेवा काल 10 वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल की गोपनीय रिपोर्टों का ब्यौरा :-	क. कुल रिपोर्टों की संख्या = ख. अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट रिपोर्टों की संख्या = ग. औसत रिपोर्टों की संख्या = घ. औसत से कम रिपोर्टों की संख्या = ङ उन रिपोर्टों की संख्या जिनमें कर्मचारी की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया गया हो =

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022 के नियम 7 एवं हिदायतें क्रमांक 14/30/2021-1 वि०ले०, दिनांक 06.02.2023 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रशिक्षण हेतु पत्र जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक **23.06.2025** को पूर्ण करता है तथा कर्मचारी एस०ए०एस० भाग-1 की परीक्षा में भाग लेने हेतु पूर्ण रूप से योग्य है।

मुख्यालय/संगठन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
मोहर सहित (with stamp)

केवल विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, संघ एवं प्राधिकरण के मामले में लागू

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (संस्था का नाम)  
हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022 एवं हिदायतें क्रमांक 14/30/2021-1 वि०ले०, दिनांक 06.02.2023 के अनुसार संगठन की परिभाषा में आता है एवं निहित शर्तें पूर्ण करता है।

संगठन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
मोहर सहित (with stamp)





**FORM OF BOND FOR GOVERNMENT EMPLOYEES PROCEEDING ON  
S.A.S. PART-I TRAINING IN THE ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE,  
HARYANA, SINCHAI BHAWAN, "B" BLOCK, 5<sup>TH</sup> FLOOR SECTOR 5,  
PANCHKULA.**

This indenture made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ two thousand twenty five between Shri/Ms \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Sh. \_\_\_\_\_ (hereinafter called the obligor which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the Governor of Haryana (hereinafter called "the Govt.") which expression shall include his successors and assignees of the other part.

Whereas the obligor has been selected for undergoing training in connection with subordinate Accounts Service in the Accounts Training Institute, Haryana, Panchkula and the Govt. have agreed to bear all the expenses in relation to the said training and to make certain payments in the form of pay and allowances.

And whereas the conditions upon which the obligor has been selected to undergo training are that he will appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted by Government after the completion of his training except on medical grounds or due to other unavoidable circumstances for which he has to satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. of Haryana at least 5 years after undergoing the training in the Accounts Training Institute and in the event of breach of these conditions he will be liable to pay to the Govt. all expenses incurred by the Govt. on his training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt. loans and that if he is declared successful in Subordinate Accounts Services Examination conducted by the Govt. his services will be placed at the disposal of the Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana for posting against vacancies of Section Officers in the Department concerned.

Now this indenture witnesseth that for the consideration aforesaid, the obligor both hereby convenient to appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted immediately after the completion of his training except or medical ground or due to other unavoidable circumstances for which he will satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. at least for five years after undergoing the training in the Institution and in the event of any breach thereof, he will pay to the Govt. all the expenses incurred by the State Govt. on his training including pay

and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt loans.

In witness whereof the said \_\_\_\_\_ (obligor's name) and \_\_\_\_\_ for and on behalf of the Govt. have hereinto set their respective hands the day and year first above written.

Signature & Designation of the Obligor

Signature by the said obligor in

The presence of : -

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(Signature of witness)

signed by (Name and designation)

\_\_\_\_\_

For and on behalf of the Govt. of

Haryana in the presence of: -

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(Signature of witnesses)

Signature & Designation of the Officer